

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

नवान शंकर बनाम तहसीलदार निवाई

किरम मुकदमा : अस्थायी निषेधाज्ञा

कदमा नम्बर 438 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.11.2024	<p>मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र श्री नरेन्द्र कुमार जाट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए अप्रार्थीगण को प्रकरण में आगामी पेशी तक ख0नं0 288 रकबा 0.9991, ख0नं0 495 रकबा 1.3405, ख0नं0 496 रकबा 1.3911 हैक्ट0 वाके ग्राम तुर्किया तह0 निवाई में स्थित भूमि में रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावे। यदि इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि से की जाकर एवं रजि0 एडि पेश नहीं करने पर यह आदेश स्वतः खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 4/12/24 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)</p> <p>4-12-24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार रजि0एडि पेश दिनांक 24/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)</p> <p>24/12/24 पत्रावली पेश हुई।</p> <p>25/12/24 पत्रावली पेश हुई।</p> <p>3-3-25 पत्रावली पेश हुई।</p>	<p>1612</p> <p>30/12/24</p> <p>NOT RECD</p> <p>30/12/24</p> <p>30</p> <p>(W)</p>

ए नर प्रेस का हिस्सा है कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

उपस्थान अधिकारी
निवासी (टॉक)